श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/153

प्रार्थीया विमला देवी पत्नी पूर्ण शर्मा पुत्री राम प्रताप जाति ब्राहमण निवासी 1/209 आजाद वाटिका के पास आर.एच.बी कॉलोनी हनुमानगढ ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता राम प्रताप पुत्र कुन्दन लाल जाति ब्राहमण निवासी 583 पटेल नगर पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 09.12.2020 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 12.02.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 09.12.2020 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान छगन लाल पुत्र रतन लाल एवं निर्मल कुमार शर्मा पुत्र केवल कृष्ण ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री अनुज शर्मा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय